

# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/51/2021

राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व० श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर।

## बनाम

प्रभारी अधिकारी, भू०अभिलेख शाखा कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005


## आदेश

दिनांक 29.06.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व० श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2021 प्रभारी अधिकारी, भू०अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, भू०अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/398 दिनांक 14.06.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू०अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध प्रभारी अधिकारी, भू०अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक 4327 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएँ प्रभारी अधिकारी, भू०अभि० अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने प्रभारी अधिकारी, भू०अभि० अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, भू०अभि० अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पत्र क्रमांक 4327 दिनांक 17.06.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचनाएँ उनके कार्यालय से संबंधित न होने के कारण अपीलान्त का आवेदन उपखण्ड अधिकारी नगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्त को भी सूचित कर दिया गया है। चूँकि अपीलान्त द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू०अभि० अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, भू०अभि० अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्त का आवेदन धारा 6(3) के

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर गिजो

तहत उपखण्ड अधिकारी नगर को अन्तरित करते हुए पत्रांक 3691-3693 दिनांक 31.05.2021 से अपीलान्त को भी सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलान्त वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी नगर के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। प्रमारी अधिकारी, भू0 अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रमारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रमारी अधिकारी, भू0 अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।



(हिमांशु गुप्ता)

जिला कलक्टर

भरतपुर